उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबन्धन अनुभाग–5
संख्या क0नि0–5–3634/ग्यारह–2004–500(136)/2003–टी0सी0
लखनऊ, दिनांक 03 जुलाई, 2004
अधिसूचना
आदेश

प0आ0–233

उत्र प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या क0सं0वि0–5–3706/ ग्यारह– 2004 –500(20)–98, दिनांक 16 दिसम्बर, 1998 का आंशिक उपान्तर करके यह निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र निवेश नीति, 2004 के अधीन किसी वास्तविक औद्योगिक प्रयोजन के लिये निष्पादित लिखतों के सम्बन्ध में अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 6 के अधीन हक विलेखों का निक्षेप, पण्यम या गिरवी और अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद 12–क के अधीन बैंक गारन्टी से सम्बन्धित करारों के सम्बन्ध में देय शुल्क को 5 रुपये प्रति हजार से घटाकर 2 रुपये प्रति हजार अधिकतम दस हजार तक करते हैं। यह अधिसूचना गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
रीता सिन्हा,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following Government notification no. K.N.-5-3634/XI-2004-500(163)-2003-T.C. dated July 03, 2004 for general information:

No. K.N.-5-3634/XI-2004-500(136)/2003-T.C.
Lucknow, Dated July 03, 2004
Notification
Order

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor in partial modification of Government notification no. K.S.V.-5-3707/XI-98-500(20)-98, dated December 16, 1998 is pleased to derect that the reduction in duty payable in respect of title deeds, pawn or pledge under Article 6 of Schedule 1-B and of Bank Guarantee underArticle 12-A of Schedule 1-B shall be from five rupees per thousand to two rupees per thousand with a maximum of rupees ten thousand in respect of the instruments executed for a bonafide industrial purpose under the Uttar Pradesh Industrial and Service Sector Investment Policy, 2004. This notification shall take effect from the date of its publication in the Gazette.

By order,
Sd/- Rita Sinha
RITA SINHA,
Pramukh Sachiv.